रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1974/फाल्गुन 20 1895
No. 110] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1974/PHALGUNA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

**(Legislative Department)**

NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 11th March 1974*

**S.O. 160(E).**—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DECLARATION

*Election to the House of the People from the 12-Janjgir Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Bhagatram Rajaram Manhar .....(Name)

Municipal Quarter Jagdalla, Champa, Bilaspur district.....(Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shrimati Minimata Agamdas seat of Shrimati Minimata Agamdas having become vacant.

Place: Bilaspur.

Date: 26-2-1974.

(Sd.) SHASHI JAIN,
Returning Officer,
12-Janjgir Parliamentary Constituency".

[No. F. 13(1)/74-Leg.II.]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1974

**का० आ० 160 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

मध्य प्रदेश में 12—जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि —

श्रीमती मिनी माता आगमदास की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री भगतराम राजाराम मनहर,————————————————(नाम)

म्युनिसिपल क्वार्टर जगदल्ला,

चम्पा, जिला-बिलासपुर————————————————(पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए हैं ।

स्थान : बिलासपुर
तारीख : 26-2-1974

(ह०) शशि जैन,
रिटर्निंग आफिसर,
12-जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र "।

[सं० फा० 13 (1)/74-विधायी II]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICA